Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. MKV/9/2017/MHRD2/DEOTH/RU-III

Date: 24.01.2019

To,

1. Vice Chancellor,
   University of Delhi
   Delhi-110007

2. The Secretary,
   University Grants Commission (UGC),
   Bahadur Shah Zafar Marg,
   New Delhi - 110002

3. Executive Director,
   School of Open Learning,
   Campus of Open Learning,
   5, Cavalry Lane, University of Delhi,
   Delhi-110007

Sub: Proceeding of sitting taken by Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 26.11.2018 at 03.00 P.M. in the matter of Representation dated 26.09.2017 of Shri Mohinder Kumar Verma, convener, Sol Union, DU Cavalry, Lane Delhi regarding safeguards the constitutional rights SC/ST category and long pending demands of all non-teaching staff of Sol, University of Delhi, 5 Cavalry Lane Delhi.

I am directed to enclose herewith Proceeding of Sitting held on 26.11.2018 at 03.00 P.M. on the above cited subject.

It is, requested that **action taken report** in the matter may please be sent to the Commission within **15 Days**.

Encl: As above.

Yours faithfully,

24/1/2019

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy for information and necessary action to:

1. Shri Mohinder Kumar Verma,
   Convener, Sol Union, DU Cavalry, Lane Delhi

2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST

3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. MKV/9/2017/MHRD2/DEOTH/RU-III

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली में बैठक दिनाँक 26.11.2018 को 3:00 बजे आयोग के माननीय अध्यक्ष श्रीमान नन्द कुमार साय की अध्यक्षता में अभ्यावेदनकर्त्ता श्री मुकेश चन्द मीणा को तदर्थ पदोन्नति दिलवाने के संदर्भ में की गई बैठक।

बैठक में उपस्थित अधिकारी परिशिष्ट 'क'

अभ्यावेदनकर्त्ता श्री मुकेश चन्द मीणा के अनुसार 01.08.2018 की बैठक में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं का पालन ना करते हुए मुझे सहायक कुल सचिव पद की तदर्थ पदोन्नति नहीं दी गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त सचिव ने आयोग को बताया मुक्त शिक्षा विद्यालय एक स्वायत्तशासी निकाय है। अतः नियुक्ति / पदोन्नति करने के पूर्ण अधिकार मुक्त शिक्षा विद्यालय के पास है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कोई आपत्ति नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव के अनुसार उल्लेखित अनुभाग अधिकारी श्री मुकेश चन्द मीणा को सहायक कुल सचिव के पद पर पदोन्नति करने में भी कोई दिक्कत नहीं है उन्हें पदोन्नत किया जा सकता है। इसमें मुक्त शिक्षा विद्यालय की गर्वनिंग बॉडी को नियुक्ति / पदोन्नति का पूर्ण अधिकार होता है।

मुक्त शिक्षा विद्यालय के कार्यकारी निदेशक के अनुसार सहायक कुल सचिव के पद पर पदोन्नति करने में हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है उपरोक्त संदर्भ में हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिख चुके है। मंत्रालय से जवाब आने पर एवं पदों की स्वीकृति मिलने पर रोस्टर के अनुसार पदोन्नति प्रदान कर दी जाएगी।

आयोग की अनुशंसा

आयोग के अनुसार मुक्त शिक्षा विद्यालय में रोस्टर से संबंधित तथा आरक्षित वर्ग को अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति/नियुक्ति में विसंगतियां/भेदभाव प्रतीत होती है अतः आयोग द्वारा मुक्त शिक्षा विद्यालय की समीक्षा बैठक की आवश्यकता है ताकि मुक्त शिक्षा विद्यालय में कार्यरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी/ कर्मचारियों को न्याय प्रदान किया जा सकें।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

समीक्षा बैठक रिपोर्ट

17 दिसंबर 2018 को मुक्त शिक्षा विद्यालय में आयोग की समीक्षा बैठक हुई जो निम्नासुसार है –

प्रशासन के साथ बैठक

प्रशासन के अनुसार सहायक कुल सचिव के पद पर पदोन्नति करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है उपरोक्त संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिख चुके है। मंत्रालय से जवाब आने पर एवं पदों की स्वीकृति मिलने पर रोस्टर के अनुसार पदोन्नति प्रदान कर दी जाएगी। प्रशासन द्वारा यह भी अवगत करवाया गया की श्री मुकेश चन्द मीणा पर विभागीय जांच चल रही है ।

अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति वेलफेयर यूनियन के साथ बैठक

आयोग ने अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति वेलफेयर यूनियन के पदाधिकारियों से मिला जिसमें यूनियन ने बताया की मुक्त शिक्षा विद्यालय का रवैया अनुसूचित जनजाति के प्रति बढ़ा भेदभाव पूर्ण है मुक्त शिक्षा विद्यालय प्रशासन द्वारा रोस्टर में कई प्रकार की अनियमितताएं कर रखी है । अनुभाग अधिकारी मुकेश चंद मीणा को सहायक कुलसचिव के पद वैधानिक अधिकारी मांगने पर मुक्त शिक्षा विद्यालय शासन द्वारा उनकी पदोन्नति रोक दी गई है एवँ उन पर झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर चरित्र हनन किया जा रहा है ।

आयोग की अनुशंसा

आयोग ने अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति वेलफेयर यूनियन से कहा की मुक्त शिक्षा विद्यालय में हो रही विभिन्न विसंगतियों के साक्ष्य आयोग को प्रस्तुत करे तथा प्रशासन को अवगत करवाया गया की श्री मुकेश मीणा पर चल रही प्रकरण की पुलिस से निष्पक्ष जांच करवाने हेतु आदेश प्रदान करे ।

21.01.019

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. MKV/9/2017/MHRD2/DEOTH/RU-III

विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली में बैठक दिनाँक 26.11.2018 को 3:00 बजे आयोग के माननीय अध्यक्ष श्रीमान नन्द कुमार साय की अध्यक्षता में अभ्यावेदनकर्त्ता श्री मुकेश चन्द मीणा को तदर्थ पदोन्नति दिलवाने के संदर्भ में की गई बैठक।

परिशिष्ट 'क'

<u>सिटिंग में भाग लेने वालों की सूची</u>

क्रम संख्या	नाम और पद
I	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
1.	श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष
2.	सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
3.	श्री एच. के. डामोर माननीय सदस्य
4.	श्रीमती माया चिन्तामन इवनाते माननीय सदस्य
5.	श्री शिशिर कुमार रथ संयुक्त सचिव
6.	डॉ0 ललित लट्टा निदेशक
7.	श्री डी. सी. कटोच सलाहकार

II	**दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली**
1.	प्रोफेसर तरुण कुमार दास
2.	श्री राजा राजन, जे. आर. कोलेज
3.	श्री प्रशांत नागर, ऐ. आर. कोलेज
4.	श्री एच. सी. पोखरियाल, एस. ओ. एल., दिल्ली विश्वविद्यालय
III	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली**
1.	डॉ. जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
IV	**याचिकाकर्ता**
1.	श्री मोहिन्द्र कुमार वर्मा
2.	श्री मुकेश चंद मीणा
3.	श्री एच. के. भट्टाचार्य